कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

राजस्थान प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है सरकार...... 7
कुम्मनम राजशेखरन बने केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 9
दिलीप घोष प. बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त.......................... 9
ममता सरकार के कुशासन के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन..................... 9

सरकार की उपलब्धियां

16 महीनों में एफडीआई 24 प्रतिशत बढ़कर 60 अरब डॉलर पहुंचा........ 10
अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 36.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी.................................. 11
पीएसएलवी ने फिर भरी सफल उड़ान.. 12
रोज 16 किलोमीटर नेशनल हाईवे का हो रहा है निर्माण......................... 12

वैचारिकी

अब्दुल्ला द्वारा जुलाई समझौते का उल्लंघन स्वतंत्र कश्मीर की रूपरेखा तैयार
– **पं. दीनदयाल उपाध्याय**... 13

श्रद्धांजलि

श्री गोपीनाथ मुंडे.. 15

लेख

कांग्रेस क्यों गलत है?
– **अरुण जेटली**.. 16
राष्ट्र निर्माण में तो विपक्ष सहयोग दे
– **एम. वेंकैया नायडू** 18
कांग्रेस के लिए कठिन सवाल
– **ए. सूर्य प्रकाश**.. 20

अन्य

भारत–जापान में 98,000 करोड़ रुपए का समझौता.............................. 22
विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा.. 27
कला उत्सव 2015.. 29

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!

सोशल मीडिया से...

फेसबुक

श्री जगत प्रकाश नड्डा

भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मोत्सव तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुशासन दिवस के अवसर पर आईटी आधारित चार नई पहलें शुरू करने का फैसला किया है। ये चार पहलें हैं: किलकारी, मोबाइल अकादमी, टीबी रोगियों के लिए टोल फ्री नंबर, तम्बाकू सेवन छोड़ने में मदद करने के लिए एम-सेसैशन।

.....

श्री मुरलीधर राव

दालों में आत्मनिर्भरता का अर्थ है-खाद्य सुरक्षा, भारतीय किसानों के लिए अधिकाधिक धन और राष्ट्र व्यापार के लिए बेहतर अनुकूल संतुलन। स्पष्टतया इन दिनों बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं है और यह एक विस्फोटक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है जैसाकि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है।

.....

twitter

श्री नरेंद्र मोदी *@narendramodi*

भारत के रूपांतरण हेतु हर संस्था अपना स्वयं सुधार करे। भारत के समग्र विकास के लिए हम साथ-साथ काम करेंगे।

.....

श्री राजनाथ सिंह *@BJPRajnathSingh*

राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास' के सिद्धांत को चरितार्थ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

.....

श्री अरुण जेटली *@arunjaitley*

विजय दिवस के अवसर पर, हम अपने बहादुर सैनिकों का सम्मान और उन्हें नमन करते हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं तथा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

.....

श्री राधामोहन सिंह *@RadhamohanBJP*

कृषि को विज्ञान से युक्त करना राजग सरकार का सपना है।

.....

पाथेय

हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बिना धर्म के राष्ट्र जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। भारतीय राष्ट्र न तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए भू-खंड से बन सकता है और न तीस करोड़ मनुष्यों के झुंड से। एक ऐसा सूत्र चाहिए जो तीस करोड़ को एक-दूसरे से बाँध सके, जो तीस कोटि को इस भूमि में बाँध सके। वह सूत्र हमारा धर्म ही है बिना धर्म के भारतीय जीवन का चैतन्य ही नष्ट हो जाएगा, उसकी प्रेरक शक्ति ही जाती रहेगी। अपनी धार्मिक विशेषता के कारण ही संसार के भिन्न-भिन्न जन समूहों में हम भी राष्ट्र के नाते खड़े हो सकते हैं। धर्म के पैमाने से ही हमने सबको नापा है।

धर्म की कसौटी पर ही कसकर हमने खरे-खोटे की जाँच की है। हमने किसी को महापुरुष मानकर पूजा है तो इसलिए कि उनके जीवन में पग-पग हमको धार्मिकता दृष्टिगोचर होती है। राम हमारे आराध्य देव बनकर रहे हैं और रावण सदा से घृणा का पात्र बना है। क्यों? राम धर्म के रक्षक थे और रावण धर्म का विनाश करना चाहता था। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों भाई-भाई थे, दोनों राज्य चाहते थे, एक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है तो दूसरे के प्रति घृणा।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

कांग्रेस के लिए सर्वोपरि है 'परिवार-हित'

अंततः सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और जमानत लेनी पड़ी। यह तो स्पष्ट है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और संसद को ठप्प करने से कोर्ट डरने वाला नहीं। जैसे ही नेशनल हेराल्ड मामले में समन भेजे गये, सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय से पेशी से छूट के लिए याचिका डाली थी। समस्या तब खड़ी हुई जब उच्च न्यायालय ने अपने 27-पृष्ठ के निर्णय में याचिका को निरस्त करते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। कांग्रेस ने एक विचित्र निर्णय में इसे एक राजनैतिक लड़ाई कहते हुए संसद ठप्प करने का फैसला लिया। जनविरोध को भांपते हुए भी कांग्रेस लगातार संसद को किसी न किसी बहाने से ठप्प करती रही। इससे कई प्रमुख विधेयक बाधित हो गये जो देश की विकास की गति को तेज कर सकते थे। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनाकांक्षाओं के विरुद्ध होकर कांग्रेस आत्महत्या की राह पर चल पड़ी है। नकारात्मक राजनीति से लाभ उठाने का कांग्रेसी स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत हमेशा सकरात्मकता के साथ खड़ी हुई है।

राहुल गांधी का कहना कि उच्च न्यायालय के निर्णय के पीछे पीएमओ का हाथ है, दिखाता है कि कांग्रेस के मन में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए कितना आदर है। यह केवल पीएमओ पर हमला नहीं बल्कि न्यायपालिका का अपमान है। जिसका इस देश की जनता के मन में सम्मान है। यह बयान कांग्रेस की उसी मानसिकता को दर्शाती है जिससे ग्रस्त हो देश पर आपातकाल थोपा गया था और लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। यह वही मानसिकता है जिसमें 'परिवार' सबसे ऊपर है और इसके लिए कोर्ट पर हमला किया जा सकता है। क्या कभी किसी ने कांग्रेस को राष्ट्रीय हित के किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरते देखा है? लेकिन यदि 'परिवार' के हित पर कोई आंच भी आ जाये तो सारे कांग्रेसी अपनी स्वामिभक्ति दिखाने के लिए एक-दूसरे से स्पर्धा करते नजर आते हैं। 'परिवार' के लिए भक्ति सर्वोपरि है। 'परिवार' ही कांग्रसे को ले डूबी। इसके कारण ही कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है और इसका आधार सिकुड़ता जा रहा है। जिस तरह से संसद के कामकाज को बाधित किया गया उससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस के लिए 'परिवार हित' राष्ट्रहित से बड़ा है।

नेशनल हेराल्ड का मामला न्यायालय में है और वहीं इसका फैसला होना है। कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ा भी भारतीय संविधान की जानकारी है यह जानता है कि यह मामला संसद के दायरे में नहीं आता। संसद को इस मुद्दे पर बाधित करना न केवल न्यायापालिका पर सवाल है बल्कि इसे धमकाने का एक प्रयास भी है। यह न्यायापालिका की स्वतंत्रता पर भी एक प्रश्नचिह्न है और इसके न्यायिक प्रक्रिया पर एक सवाल भी है। क्या न्यायालय को प्रभावित किया जा सकता है? क्या इसके निर्णय को किसी के राजनैतिक इच्छापूर्ति के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में देश कल्पना भी नहीं कर सकता। कांग्रेस को देश की उच्च संवैधानिक संस्थाओं जिन पर जनता विश्वास करती है पर हमले करने से बचना चाहिए और यह विश्वास ही हमारे लोकतंत्र का प्राण तत्व है। इस तरह की अदूरदर्शी राजनीति देश को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस को 'परिवार हित' की क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करना चाहिए।

लोगों ने कांग्रेस को कुछ इस तरह से सत्ता से बेदखल किया कि वे अब लोक सभा को बाधित करने की भी स्थिति में नहीं हैं पर ये राज्यसभा को अभी भी ठप्प कर सकते हैं। लोकसभा में भयंकर

रूप से घटी संख्या से भी कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है और वो दिन भी अब दूर नहीं जब राज्यसभा में भी इनकी ताकत नहीं बचेगी। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि देश की जनता उन्हें देख रही है।

कांग्रेस केवल संसद को बाधित नहीं कर रही बल्कि देश की प्रगति के मार्ग में रोड़े अटका रही है। यह 'परिवार' और उसके हितों से आगे नहीं देख सकती। उनके लिए 'परिवार' पर प्रश्न खड़े करने या उन्हें न्यायालय में चुनौती देना असहनीय है।

कांग्रेस के लिए 'परिवार' कानून से ऊपर है और देश को उनके न्यायालय में हाजिर होने के लिये अहसानमंद होना चाहिए। कानून का आदर कर उन्होंने देश पर अहसान किया है। इस प्रकार की मानसिकता के कारण ही कांग्रेस का पतन हो रहा है और वह गर्त में डूबती जा रही है। देश उन्हें देख रहा है और आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस को और अधिक पाठ पढ़ाएगी।■

195 देशों ने दी जलवायु परिवर्तन पर समझौते को मंजूरी

वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य

13 दिन तक चली गहन वार्ताओं के बाद 196 सदस्यों ने ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक समझौते को मंजूर कर लिया। इस समझौते में दुनिया भर के तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय मदद भी शामिल है।

गौरतलब है कि पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के आयोजकों ने 12 दिसंबर को समझौते का कुछ ब्यौरा जारी किया था। यह एक ऐसा समझौता है जिसे विश्व नेताओं ने विभिन्नता प्रदान करने वाला, निष्पक्ष, दीर्घकालिक, गतिशील और कानूनी रूप से बाध्यकारी करार दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि पेरिस समझौते को मंजूर कर लिया गया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलांद ने इस समझौते को अभूतपूर्व बताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री बान की-मून ने कहा था कि अगर देशों को अपना हित करना है तो उन्हें वैश्विक हित के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें संकेत भेज रही है।

जलवायु सम्मेलन पेरिस में न कोई जीता न कोई हारा : मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अभी हाल में समाप्त पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जलवायु न्याय की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीओपी-21 के विचार-विमर्श और पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए विश्व के नेताओं की सामूहिक विवेक को दर्शाया है। अपनी भावनाओं को ट्वीट की एक श्रृंखला में साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस समझौते के निष्कर्ष में न कोई जीता है, न कोई हारा है।

पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मुझे इस बात पर जोर देना होगा कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) एक बड़ी नवीन खोज है और यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली साबित हुई है। ■

संगठनात्मक गतिविधियां

राजस्थान : भाजपा-सरकार के दो वर्ष पूरे

प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है सरकार : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 13 दिसंबर को राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित विकास संकल्प समारोह को सम्बोधित किया और राजस्थान में विकास की बयार लाने के लिए राजस्थान की श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया को हृदय से शुभकामनाएँ दीं।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि इन दो वर्षों में राजस्थान में विकास के परिवर्तन की एक नई लहर चली है और समाज के हर तबके की भलाई के लिए काफी कार्य किये गए हैं।

राजस्थान कांग्रेस के मिथ्या आरोपों पर चुटकी लेते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस यह झूठा आरोप लगा रही है कि इन दो वर्षों में राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में राजस्थान सरकार ने जितना काम किया है और आज जितनी विकास परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है, वह अगर पूरा हो जाता है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना कार्य भाजपा सरकार के इस शासन काल में अब तक हुआ है, उतना कांग्रेस के 50 वर्षों के शासन काल में भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राजस्थान कांग्रेस के इस एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इन दो सालों में राजस्थान में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार और घपला नहीं हुआ।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले विधान सभा और बाद में 2014 के ऐतिहासिक लोक सभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, वह काबिले तारीफ है, इतना ही नहीं, अभी हाल ही में राजस्थान के स्थानीय निकायों के चुनाव में भी जनता ने अपना अपार जन-समर्थन देकर यह जता दिया कि राजस्थान सरकार ने जनता की भलाई के कितने महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। श्री शाह ने कहा कि राजस्थान में सरकार और संगठन एक ही दिशा, जनता की भलाई और प्रदेश के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है और इतना तय है कि यहां सालों तक कांग्रेस सत्ता में तो आने वाली नहीं है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जब-जब भाजपा की सरकार आई है, तब-तब जनता की भलाई की दिशा में अनेकों नवीनतम योजनाओं की पहल की गई है। उन्होंने श्री भैरों सिंह शेखावत के समय प्रदेश में लागू की गई अंत्योदय योजना की भी तारीफ की। उन्होंने श्रीमती वसुंधरा सरकार की जननी सुरक्षा योजना और भामाशाह योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योजनाएँ राज्य की जनता के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा देश की

जनता के जीवन के उत्थान के लिए चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों को राज्य के जन-जन तक बखूबी से पहुँचाने का काम किया है, चाहे वह मुद्रा बैंक योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो या फिर जन-धन योजना।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की सरकार ने किसानों को उनके फसल क्षति पर मिलने वाले मुआवजे के मापदंड को 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया तथा साथ ही मुआवजे की राशि में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। श्री शाह ने कहा कि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2019 तक देश के हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का फैसला किया है ताकि किसानों को कृषि में आसानी हो सके।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपनी सारी योजनाएँ गरीबों और किसानों को ही केंद्र में रखकर बनाई है चाहे वह काफी आसान दर पर बिना गारंटी के मुद्रा बैंक योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, लोगों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से बैंकों से जोड़ने की बात हो, 75 हजार करोड़ रुपये की लागत से देश के हर किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की बात हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गाँवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात हो। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर राजस्थान की भाजपा सरकार ने काफी सराहनीय काम किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में देश की सुरक्षा सबसे अहम है और हमने आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान सरकार हर समय, हर मोर्चे पर समाज के दबे-कुचले, पिछड़ों तथा गरीबों के विकास और उनकी भलाई के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वर्तमान वसुंधरा राजे सरकार का 'अपना जिला - अपनी सरकार' एक अनूठा प्रयोग है जो सरकार को आम लोगों तक पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने दो वर्षों में ही 22 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर के अभूतपूर्व मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि पंचायत दिवस मनाना ग्राम्य सरकारों को प्रोत्साहित करता है और इसे मजबूती प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि एक साथ ही प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की नींव रखकर राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है जो सर्वथा स्वागत योग्य है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि देश में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा जी की सरकार का काम वाकई प्रशंसनीय है। संगठन और प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए श्री शाह ने कहा कि संगठन और सरकार, दोनों ने मिलकर राजस्थान में जिस तरह से काम किया है, वह अद्वितीय है। उन्होंने कामना की कि इसी तरह संगठन और सरकार मिलकर देश के कोने-कोने में काम करे और लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह सदैव भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे।

राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित इस संकल्प समारोह को राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी सम्बोधित किया। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : नियुक्तियां

कुम्मनम राजशेखरन बने केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

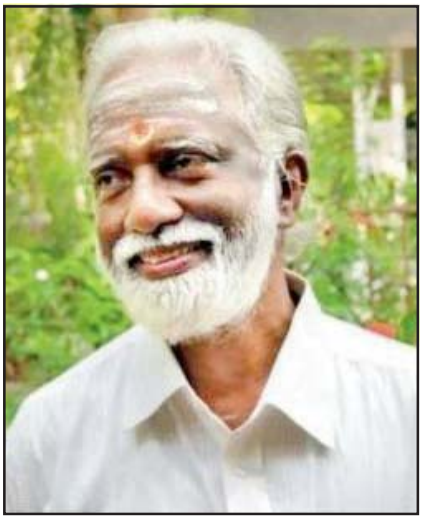

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी. मुरलीधरन को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है तथा उनके स्थान पर श्री कुम्मनम राजशेखरन को केरल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

दिलीप घोष प. बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के निर्देशानुसार अभी तक प. बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री राहुल सिन्हा अब पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री होंगे तथा उनके स्थान पर प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्यरत श्री दिलीप घोष प. बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष होंगे।

पश्चिम बंगाल

ममता सरकार के कुशासन के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 18 दिसंबर को कोलकाता के तारातल्ला और हाजरा के अलावा सिलीगुड़ी और मिदनापुर सहित राज्य भर में ममता सरकार के कुशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सिलीगुड़ी में पार्टी नेताओं और समर्थकों पर लाठी भांजी और मिदनापुर में आंदोलनकारियों पर पानी की बौछार की। पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप घोष और समर्थकों ने पार्टी की नेता श्रीमती रूपा गांगुली के हाथों शरबत पीकर अनशन खत्म किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं सहप्रभारी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। जेल भरो आंदोलन के दौरान पुलिस ने कृष्णनगर में पांच भाजपा समर्थकों को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में श्री दिलीप घोष, श्री कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी समर्थक 17 दिसंबर की रात से अनशन पर बैठ गए थे। श्री दिलीप घोष ने कहा कि हमने पुलिस से अपने पांच गिरफ्तार समर्थकों को छोडने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि अगर उन्हें नहीं छोड़ सकते तो हम सभी को गिरफ्तार करो। जब पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी तो हम रात को ही अनशन पर बैठ गए थे। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने पार्टी समर्थकों पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन का रुख देख कर राज्य सरकार डर गई है। इस लिए वह पुलिस और सिविक पुलिस के जरिए हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले करवा रही है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के आतंक से गुस्साए लोग अब भाजपा के साथ आने लगे हैं। ■

16 महीनों में एफडीआई 24 प्रतिशत बढ़कर 60 अरब डॉलर पहुंचा

भाजपानीत केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर को कहा कि मौजूदा सरकार के तहत देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 24 प्रतिशत बढकर 60.69 अरब डॉलर का हो गया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया कि फरवरी 2013 से मई 2014 के दौरान देश में 48.9 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के आने के बाद से देश में एफडीआई बढ़ा है। जून 2014 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान जिन क्षेत्रों में बेहतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, व्यापार, सेवा, आटोमोबाइल और दूरसंचार क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत के लिए विदेशी निवेश काफी महत्वपूर्ण है। विकास को बढावा देने के लिए बंदरगाह, हवाईअड्डों और राजमार्ग जैसे आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने के लिए मार्च 2017 तक करीब 1,000 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।

सेवा क्षेत्र में एफडीआई में 20 फीसदी की बढ़ोतरी

सरकार की व्यापार सुगमता बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने की पहल के बीच मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 1.46 अरब डॉलर (9,404 करोड़ रुपए) हो गया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के मुताबिक सेवा क्षेत्र जिसमें बैंकिंग, बीमा, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर एवं प्रौद्योगिकी परीक्षण शामिल है, में अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान 1.22 अरब डॉलर (7,366 करोड़ रुपए) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया।

मौजूदा सरकार के तहत देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 24 प्रतिशत बढकर 60.69 अरब डॉलर का हो गया है।

विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित पहलों से इन क्षेत्रों को ज्यादा निवेश आकर्षित करने में मदद मिल रही है। साथ ही बैंकिंग एवं बीमा जैसे क्षेत्रों में ताजा सुधार से एफडीआई प्रवाह बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि इस साल सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया। बैंकिंग क्षेत्र में भी सरकार ने मानदंडों में ढील दी है और स्थानीय निजी बैंकों में पोर्टफोलियो निवेशकों को 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है।

सिंगापुर ने भारत में किया सर्वाधिक एफडीआई

देश में एफडीआई के मामले में सिंगापुर ने मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सिंगापुर से आया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान भारत ने सिंगापुर से 6.69 अरब डॉलर (43,096 करोड़ रुपये) एफडीआई आकर्षित किया जबकि मारीशस से 3.66 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। पिछले वर्ष इसी अवधि में सिंगापुर से देश में 2.41 अरब डॉलर एफडीआई आया था। विशेषज्ञों के अनुसार सिंगापुर के साथ दोहरा कर बचाव संधि (डीटीएए) में लाभ की सीमा (लिमिट आफ बेनिफिट-एलओबी) उपबंध शामिल किया गया है। इससे वहां के विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करना आसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक मारीशस के मुकाबले सिंगापुर को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि भारत-सिंगापुर संधि में एलओबी अनुबंध निश्चितता उपलब्ध कराता है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में सिंगापुर से आया एफडीआई वित्त वर्ष 2013-14 के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (5.98 अरब डॉलर) से भी अधिक है। भारत ने 2014-15 के दौरान 6.74 अरब डॉलर निवेश आकर्षित किया। भारत को अप्रैल 2000 से सितंबर 2015 के दौरान प्राप्त कुल एफडीआई में सिंगापुर का योगदान 15 प्रतिशत रहा है। हालांकि मारीशस का योगदान इसी अवधि में 34 प्रतिशत रहा। जिन क्षेत्रों में अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान अत्यधिक विदेशी निवेश आये, उसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर (3.05 अरब डॉलर), कारोबार (2.30 अरब डॉलर), सेवा एवं वाहन (दोनों में 1.46-1.46 अरब डॉलर) तथा दूरसंचार (65.9 करोड़ डॉलर) शामिल हैं। ■

अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 36.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह 3,82,860 करोड़ रुपये तक पहुंचा

केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर, 2015 के दौरान अप्रत्यक्ष कर राजस्व के संग्रह (अनंतिम) में अक्टूबर, 2014 की तुलना में 36.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल-अक्टूबर 2015 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए संग्रह के मुकाबले 35.9 फीसदी की वृद्धि आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लक्षित वृद्धि दर 18.8 फीसदी है। कुल मिलाकर, मौद्रिक दृष्टि से अप्रत्यक्ष कर राजस्व का संग्रह (अनंतिम) अप्रैल-अक्टूबर 2015 के दौरान बढ़कर 3,82,860 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2014 के दौरान यह राशि 2,81,798 करोड़ रुपये थी। अकेले अक्टूबर 2015 के दौरान अप्रत्यक्ष कर राजस्व का संग्रह (अनंतिम) बढ़कर 58,691 करोड़ रुपये के स्तर को छू गया, जबकि अक्टूबर 2014 में यह राशि 42,897 करोड़ रुपये थी।

अप्रैल-अक्टूबर 2015 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मद में राजस्व संग्रह अप्रैल-अक्टूबर 2014 के 87,588 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,47,685 करोड़ रुपये हो गया और इस तरह इसमें 68.6 फीसदी का इजाफा हुआ है। जहां तक सेवा कर का सवाल है, इस मद में राजस्व संग्रह अप्रैल-अक्टूबर 2014 के 89,379 करोड़ रुपये से सुधर कर अप्रैल-अक्टूबर 2015 में 1,12,727 करोड़ रुपये हो गया और इस तरह इस मद में 26.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह सीमा शुल्क का संग्रह अप्रैल-अक्टूबर 2014 के 1,04,831 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2015 में 1,22,448 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया और इस तरह इसमें 16.8 फीसदी की बढ़ोतरी आंकी गई है।

गौरतलब है कि भाजपानीत राजग सरकार ने विकास की बहाली और निवेश व घरेलू विनिर्माण के संवर्धन तथा 'मेक इन इंडिया' के जरिए रोजगार सृजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- शुल्क उत्कर्मण की समस्या से निपटने के लिए विशेष कच्चे माल (इनपुट) पर सीमा शुल्क घटा दिया गया।
- सीमा शुल्क में कमी इसलिए भी की गई, ताकि आगे और विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की लागत घटाई जा सके।
- 4 फीसदी के विशेष अतिरिक्त शुल्क, जिसे राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले स्थानीय करों (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) के प्रति संतुलन के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, को विशेष आयातित कच्चे माल/इनपुट पर घटा दिया गया/मुक्त कर दिया गया, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के संग्रह की समस्या दूर की जा सके। उदाहरण के लिए, पॉपुलेटेड पीसीबी को छोड़ सभी वस्तुओं को 4 फीसदी विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।
- मेटलर्जिकल कोक पर मूल सीमा शुल्क को 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया। इसी तरह वाणिज्यिक वाहनों पर मूल सीमा शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया।
- विशेष इस्पात वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 फीसदी/12.5 फीसदी कर दिया गया।
- विशेष वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी और हिफाजत शुल्क (सेफगार्ड ड्यूटी) लगाया गया।

घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम

- चीनी पर मूल सीमा शुल्क को 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया, जिसे बाद में और ज्यादा बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया।
- 1 अक्टूबर, 2015 के बाद पेराई किये गए गन्ने से प्राप्त शीरे से उत्पादित एथनॉल को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया, ताकि पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसे कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसकी आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा, इस तरह से शुल्क मुक्त एथनॉल के उत्पादकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट सुलभ कराया जा सके।
- कच्चे खाद्य तेलों (वनस्पति मूल) पर मूल सीमा शुल्क को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी

कर दिया गया और रिफाइंड खाद्य तेलों (वनस्पति मूल) पर मूल सीमा शुल्क को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया।

- घी, मक्खन और मक्खन तेल पर मूल सीमा शुल्क को 31 मार्च, 2016 तक के लिए 30 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है।
- गेहूं पर 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क लगाया गया, जिसे 31 मार्च, 2016 तक के लिए बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है।

कारोबार में और ज्यादा सुगमता सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदम

चौबीसों घंटे कस्टम क्लीयरेंस: विशेष आयातित वस्तुओं जैसे कि प्रवेश संबंधी 'सुगम' बिलों के दायरे में आने वाली वस्तुओं के लिए और विशेष निर्यात जैसे कि कारखानों में भरे कंटेनरों एवं नि:शुल्क शिपिंग बिलों के दायरे में आने वाली निर्यातित वस्तुओं के लिए 18 समुद्री बंदरगाहों पर चौबीसों घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

एकल खिड़की परियोजना: एकल खिड़की एक्जिम व्यापार के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म सुलभ कराती है, ताकि सभी नियामकीय एजेंसियों (जैसे कि पशु संगरोध, पादप संगरोध, दवा नियंत्रक, कपड़ा समिति इत्यादि) की जरूरतों को संदेशों के आदान-प्रदान के जरिए पूरा किया जा सके। एकल खिड़की योजना के फायदों में घटी हुई लागतें, कारोबार करने में सुगमता, ज्यादा पारदर्शिता, दोहराव रोकना व अनुपालन की लागत और संसाधनों का अधिकतम उपयोग शामिल हैं।

आयात और निर्यात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में कमी: व्यापार को सुविधाजनक बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या कम कर दी गई है और इसके लिए केवल 3 अनिवार्य निर्यात एवं आयात दस्तावेज निर्धारित किये गए हैं। हालांकि, प्राथमिकता वाले समझौतों इत्यादि के तहत विशेष तरह का आयात एवं निर्यात करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ■

पीएसएलवी ने फिर भरी सफल उड़ान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 16 दिसंबर को पूर्ण वाणिज्यिक मिशन के तहत अपने विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी सी-29) से सिंगापुर के छह उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लांच पैड से पीएसएलवी सी-29 ने ठीक शाम 6 बजे उड़ान भरी एक-एक कर सभी उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया। पूरी प्रक्षेपण की प्रक्रिया 21 मिनट चली। इसरो के इतिहास में यह उड़ान इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस सफल उड़ान के साथ ही श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रहों के प्रक्षेपण का अर्धशतक पूरा हुआ। पीएसएलवी का यह 32वां मिशन था जबकि भारत से किया गया 50वां प्रक्षेपण था। पीएसएलवी ने अभी तक के 32 अभियानों में 31 बार सौ फीसदी सफलता हासिल की है। इसरो अध्यक्ष ए एस किरण कुमार ने सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ साल का अंत हो रहा है मगर अगले साल इसरो और नई ऊंचाईयों की ओर कदम बढ़ाएगा। ■

रोज 16 किलोमीटर नेशनल हाईवे का हो रहा है निर्माण

केंद्र सरकार ने बताया कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गो संबंधी 1050 कार्य निर्माणाधीन हैं जिनकी लम्बाई 31,945 किलोमीटर है और इनकी लागत 2,12,875 करोड़ रुपए है। लोकसभा में कृष्णा राज के प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत गति प्रतिदिन 16 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित 66 कार्य निर्माणधीन हैं जिनकी लम्बाई 2,575 किलोमीटर है और जिसकी लागत 16,721 करोड़ रुपए है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण की गति विभिन्न कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्थानांतरण, मिट्टी (गिट्टी) की अनुपलब्धता, ठेकेदारों का कम कार्य करना, वन और वन्य जीव स्वीकृति, रेलवे के आरोप संबंधी मुद्दे, ठेकेदारों के साथ पंचाट से जुड़े विषयों के कारण प्रभावित होती है। ■

अब्दुल्ला द्वारा जुलाई समझौते का उल्लंघन स्वतंत्र कश्मीर की रूपरेखा तैयार

– दीनदयाल उपाध्याय

जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ प्रारंभ से ही कश्मीर के मुद्दे पर अपने राष्ट्रवादी अभिमत के लिए जानी जाती रही है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आजादी के समय, कश्मीर में लड़ाई की स्थिति होने के कारण संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर भारत के साथ उसका संबंध जोड़ा गया, लेकिन यह भी प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह तबसे जारी है और आज राष्ट्रीय एकता की राह में रोड़ा बना हुआ है। उस समय शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र कश्मीर के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियों के चलते उनका यह मंसूबा पूरा नहीं हो सका। जनसंघ के तत्कालीन महामंत्री और विचारक राजनेता पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 11 मई 1953 को पांचजन्य में इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए लेख लिखा था। गतांक में हमने लेख का प्रथम एवं द्वितीय भाग प्रकाशित किया था। प्रस्तुत है अंतिम भाग:

राज्य का झंडा तीन सफेद खड़े पहियों और हल के साथ लाल रंग का रहेगा।

भाग 13 के अनुसार कश्मीर एक संघ राज्य माना गया है जिसके पाँच अंग होंगे (क) कश्मीर : अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला जिलों सहित, (ख) पूंछ : मीरपुर, पूंछ, रजौरी और मुजफ्फराबाद जिलों सहित, (ग) जम्मू : जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर और डोडा जिलों सहित, (घ) लद्दाख : लेह, कारगिल और अस्कारदू सहित, (च) गिलगित : गिलगित तहसील और दुंजी सहित। कश्मीर, पूंछ और जम्मू प्रांत का शासन एक चीफ कमिश्नर के अधीन होगा जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से सदरे रियासत करेंगे। चीफ कमिश्नर प्रांत के प्रशासन का प्रमुख रहेगा और वह राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रत्येक चीफ कमिश्नर के अधीन मंत्री परिषद् होगी जो प्रांतीय अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में उसे सलाह देगी। मंत्री परिषद् प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। विधानसभा का निर्वाचन प्रति

साठ हजार निवासियों पर एक सदस्य के हिसाब से होगा। मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार होगा। प्रांतीय विधानसभा को प्रांत का बजट स्वीकार करने का भी अधिकार है जो बाद में राज्य के बजट के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा। लद्दाख और गिलगित के प्रदेशों के लिए एक रीजनल कमिश्नर नियुक्त होगा। उसको सलाह देने के प्रति दस हजार निवासियों पर एक सदस्य के हिसाब से एक प्रादेशिक समिति निर्वाचित होगी। यह समिति सलाहकार समिति के रूप में काम करेगी। कश्मीर, पूंछ और जम्मू प्रांत के प्रत्येक जिले की एक जिला समिति होगी जिसका निर्वाचन बीस हजार निवासियों पर एक सदस्य के हिसाब से होगा। जिला समिति डिप्टी कमिश्नर की सलाहकार समिति के रूप में काम करेगी तथा जो प्रस्ताव वह चाहे पास करके राज्य या प्रांतीय सरकार के पास सिफारिश के रूप में भेज सकती है। राज्य विधानसभा नया जिला या प्रांत बना सकती है, उन्हें घटा-बड़ा सकती है। उनकी सीमाएँ बदल सकती है। गिलगित

और मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कश्मीर में मिलने तक राज्य संघ की केवल तीन ही इकाइयाँ होंगी –कश्मीर और जम्मू प्रांत तथा लद्दाख का जिला। तब तक सभी जिला कौंसिल में एक तिहाई सदस्य सरकार द्वारा नामजद रहेंगे। प्रत्येक जिला कौंसिल अपनी कार्यपालिका निर्वाचित करेगी जो सलाहकार समिति के रूप में काम करेगी। कोई भी जिला एक प्रस्ताव द्वारा तीन वर्ष के बाद निर्णय कर सकता है कि वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएगा अथवा सीधा राज्य सरकार से प्रशासित हों। राज्य सरकार भी एक आयोग की रिपोर्ट के बाद किसी भी जिले या प्रांत की सीमाएँ बदल सकती हैं।

भाग 16 के अनुसार संविधान में संशोधन राष्ट्रीय महासभा के दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है किंतु प्रांतीय विधान सभाओं के अधिकार और कार्यों से संबंधित संशोधन उन विधान सभाओं के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित होने पर ही स्वीकृत होंगे।

यह विधान भारतीय संविधान से पृथक होने के कारण भारत की मौलिक एकता के लिए घातक तो है ही, किंतु स्वयं भी अनेक दृष्टियों से आपत्तिजनक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कश्मीर पर लागू करने के बजाय कश्मीर के संविधान में ही मौलिक अधिकारों का भाग जोड़ना प्रकट करता है कि कश्मीर–राज्य भारत का अविभाज्य अंग नहीं बल्कि एक नए पाकिस्तान के रूप में बना हुआ है। अंतर यही है कि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और शेख अब्दुल्ला लियाकत अली के समान भारत को घूंसा न दिखाकर मुहम्मद अली के समान नेहरूजी को बड़ा भाई कह देते हैं। चाहिए तो यह था कि भारतीय संविधान के वे सभी भाग जिनके संबंध में जुलाई 1952 में विचार हो चुका है, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू कर दिए जाते और उस राज्य के लिए यदि कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है तो भारतीय संसद में तत्संबंधी संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया जाता। किंतु शेख साहब ने तो जुलाई समझौते को भी ठुकरा दिया है। हाँ, इस प्रारूप से जम्मू प्रजा परिषद् की माँगों को स्वीकार करने का दिखावा अवश्य किया गया है। क्योंकि (क) जम्मू को प्रांतीय स्वायत्त सत्ता दी गई है, यद्यपि उस सत्ता का अधिकार क्षेत्र भारत की किसी नगरपालिका से भी गया बीता है। (ख) डोडा जिले को जम्मू से अलग नहीं किया गया, यद्यपि भविष्य में उसको अलग करने के बीज जरूर बो दिए गए हैं। हम समझते हैं कि चालीस लाख लोगों के एक छोटे से राज्य का संघीय विधान बनाना और फिर उसका भारत संघ के साथ केवल तीन मामलों में संबंध करना एक ऐसा प्रयोग है जो दुनिया के अन्य किसी भाग में देखने को नहीं मिलता। भारत की आत्मा तो एकता चाहती है और इसीलिए अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बाद भी हमने सन् 1935 के संविधान के फैडरेशन वाले भाग को स्वीकार नहीं किया तथा स्वतंत्र होने के बाद भी जो विधान बनाया उसके ऊपर यद्यपि फैडरेशन की कुछ छाप रही परंतु हमने तो भी उसे एकत्व का जामा पहनाने का प्रयत्न किया और भारत को एक 'फैडरेशन ऑफ स्टेट्स' के स्थान पर 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' बनाया। हमारे संविधान के अनुसार हमारी संपूर्ण जनता की शक्ति हमारी केंद्र सरकार में निहित है। प्रांतों को वही शक्ति प्राप्त है जो केंद्र देता है और अवशेष प्रभुता केंद्र को प्राप्त है किंतु कश्मीर में चक्र उलटा चला जा रहा है। क्या इसके बाद भी हम यह समझें कि शेख अब्दुल्ला ने राष्ट्रवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। सच तो यह है कि लौह पुरुष सरदार पटेल के निधन, नेहरूजी की संतुष्टीकरण की नीति और संयुक्त राष्ट्रसंघ में कश्मीर के प्रश्न की उपस्थिति से उत्पन्न परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर, जो कभी भी राष्ट्र भक्तिपूर्ण नहीं हो सकता, शेख अब्दुल्ला एक तीसरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं।

सत्य प्रकट हो गया है, अब यह भारत की जनता को निर्णय करना है कि वह उस सत्य का मुकाबला करती है अथवा आँखें बंद कर सत्य को देखने से इनकार करती है। ■

यह विधान भारतीय संविधान से पृथक होने के कारण भारत की मौलिक एकता के लिए घातक तो है ही, किंतु स्वयं भी अनेक दृष्टियों से आपत्तिजनक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कश्मीर पर लागू करने के बजाय कश्मीर के संविधान में ही मौलिक अधिकारों का भाग जोड़ना प्रकट करता है कि कश्मीर–राज्य भारत का अविभाज्य अंग नहीं बल्कि एक नए पाकिस्तान के रूप में बना हुआ है। अंतर यही है कि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और शेख अब्दुल्ला लियाकत अली के समान भारत को घूंसा न दिखाकर मुहम्मद अली के समान नेहरूजी को बड़ा भाई कह देते हैं।

श्रद्धांजलि

पार्टी को दलित, पिछड़ों, गरीबों और मजदूरों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई मुंडे जी ने : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 दिसम्बर को महाराष्ट्र के बीड जिले में स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे के जन्म दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में गोपीनाथ-गढ़ का उद्घाटन किया और इस अवसर पर आयोजित सभा में उपस्थित विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित किया। भाजपा अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं श्री गोपीनाथ मुंडे जी की जन्म जयंती पर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से अपना श्रद्धा-सुमन अर्पित करने आया हूँ।

श्री शाह ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्री गोपीनाथ जी ने अपनी छोटी सी आयु में ही महाराष्ट्र में भाजपा संगठन की जो नींव रखी और भाजपा को दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मजदूरों तक पहुँचाने का जो भगीरथ प्रयास किया, उसी के बल पर आज महाराष्ट्र में भाजपा का वैभव और उसकी सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और गृहमंत्री रहते हुए श्री गोपीनाथ ने जो उपलब्धियां हासिल की, वह अतुलनीय है। श्री शाह ने कहा कि श्री मुंडे जी ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहते हुए राज्य पर से अपराधी तत्वों के हावी रहने के बदनामी के कलंक को धोया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में भाजपा की सरकार बनी तो श्री गोपीनाथ मुंडे की कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें गाँवों, गरीबों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का हरेक कार्यकर्ता श्री गोपीनाथ जी के सिद्धांतों और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर उनके विचारों और सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि शासन भोग

के लिए नहीं होता, यह दबे-कुचले, पिछड़े तथा दलितों एवं गरीबों के लिए होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री देवेन्द्र जी के नेतृत्व में जल्द ही महाराष्ट्र देश का अग्रणी राज्य बनने के पथ पर खड़ा होगा।

श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की वर्तमान भाजपा-नीत सरकार पर विपक्ष भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने 75 हजार करोड़ से अधिक की राशि सिंचाई के लिए खर्च की लेकिन वह राज्य की एक इंच की भी भूमि को सिंचित नहीं कर पाई जबकि वर्तमान देवेन्द्र सरकार ने मात्र 7500 करोड़ रुपये की राशि से राज्य के 6200 गाँवों की खेतों तक सिंचाई व्यवस्था पहुँचा कर एक नया आयाम स्थापित किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और देवेन्द्र जी की अगुआई में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही किसानों को उनके फसल क्षति पर मुआवजे के मापदंड को 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया तथा साथ ही उन्होंने मुआवजे की राशि में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी की। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2019 तक देश के हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का फैसला किया है ताकि कृषि का समुचित विकास हो सके और किसानों को कृषि में आसानी हो सके। श्री शाह ने कहा कि मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जन-धन योजना इत्यादि कई योजनाएँ वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और पिछड़ों की भलाई के लिए चलाई जा रही हैं जिसके अपेक्षित परिणाम भी अब मिलने शुरू हो गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि एक बार फिर मैं श्री गोपीनाथ जी को अपना विनम्र श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ और लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमेशा दबे-कुचले, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम करती रहेगी।■

नेशनल हेराल्ड प्रकरण

कांग्रेस क्यों गलत है?

–अरुण जेटली

पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी ने संसद के दोनों सदनों को बाधित कर रखा है। इनका गोबेल्सियन दुष्प्रचार यह है कि पार्टी का नेतृत्व एक राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार है। तो तथ्य क्या है?

एक अखबार 'नेशनल हेराल्ड' को शुरू करने के उद्देश्य से एक कंपनी बनाई गई। कंपनी को देश के कई हिस्सों में बहुमूल्य जमीन का आवंटन मिला। जमीन अखबार के कारोबार के लिए इस्तेमाल किये जाने के लिए था। आज, कोई समाचार-पत्र नहीं है। केवल जमीन और उसके ऊपर निर्मित संरचनाएँ हैं जिनका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा रहा है।

एक राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है। उसी प्रयोजन के लिए, इसे आय कर के भुगतान से छूट मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एकत्रित कोष में से 90 करोड़ रुपये की राशि समाचार-पत्र वाली कंपनी को दे दिया जाता है। प्रथम दृष्टया, यह उतना ही आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जितना एक छूट मुक्त आय को गैर शुल्क-मुक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना होता है।

90 करोड़ रुपये के कर्ज को फिर 50 लाख रुपए की मामूली रकम के लिए एक सेक्शन 25 कंपनी को अभिहस्तांतरित कर दिया गया। कर मुक्त राशि प्रभावी ढंग से एक रियल एस्टेट कंपनी को हस्तांतरित हो जाती है। यह रियल एस्टेट कंपनी अब पुरानी समाचार-पत्र वाली कंपनी का 99 प्रतिशत शेयर्स अधिगृहीत करती है। प्रभावी रूप से, काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा नियंत्रित सेक्शन 25 कंपनी अब एक अखबार के प्रकाशन के लिए अधिग्रहीत की गई सभी सभी संपत्तियों की मालिक है, और वास्तव में बिना किसी विचार के, वह सेक्शन 25 कंपनी इन सभी सम्पत्तियों का मालिकाना हक रखती है। इसके हाथों, यह लाभ बहुत बड़ा कर योग्य आय हो जाएगी।

एक राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है। उसी प्रयोजन के लिए, इसे आय कर के भुगतान से छूट मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एकत्रित कोष में से 90 करोड़ रुपये की राशि समाचार-पत्र वाली कंपनी को दे दिया जाता है। प्रथम दृष्टया, यह उतना ही आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जितना एक छूट मुक्त आय को गैर शुल्क-मुक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना होता है।

90 करोड़ रुपये के कर्ज को फिर 50 लाख रुपए की मामूली रकम के लिए एक सेक्शन 25 कंपनी को अभिहस्तांतरित कर दिया गया।

2012 के बाद से, एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में, डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने भरोसे के उल्लंघन का आरोप लगाया। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक अपराध को रिपोर्ट करे जब वह उसके संज्ञान में आता है। एक निचली अदालत, डॉ. स्वामी की शिकायत पर समन जारी करती है। कांग्रेस पार्टी के आरोपी नेता इसे खारिज करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाते हैं, जो उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करती है। आखिरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय आरोपियों की याचिका खारिज करती है। अब आरोपियों के पास दो विकल्प हैं। वे या तो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं अथवा निचली अदालत के समक्ष पेश होते हैं और योग्यता के आधार पर लड़ाई लड़ सकते हैं।

तथ्य स्पष्ट हैं- वित्तीय लेनदेन की एक शृंखला के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुद के लिए 'चक्रव्यूह' बनाया। 'चक्रव्यूह' से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें स्वयं खोजना होगा। बिना किसी खर्च के ही उन्होंने एक विशाल राशि की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। उन्होंने कर से छूट वाली आय का एक गैर कर मुक्त आय के लिए उपयोग किया है। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के आय को एक रियल एस्टेट कंपनी में हस्तांतरित कर दिया है। उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी

के पक्ष में विशाल कर योग्य आय बनाई है। सरकार ने अब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आयकर अधिकारी अपनी स्वयं की प्रक्रिया का पालन करेंगे। इस बीच, आपराधिक न्यायालय ने अपराध का संज्ञान ले लिया है। उच्च न्यायालय, निचली अदालत से सहमत हो गई है। लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ा जाना है। लेकिन कानूनी लड़ाई के परिणाम हमेशा से अनिश्चित रहे हैं। कांग्रेस इसीलिये, जोर-जोर से चिल्ला रही है और इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रही है। क्या यह न्यायालयों के खिलाफ एक आरोप है?

सरकार ने विवादित लेनदेन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। कानून के सामने सब बराबर है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। भारत ने कभी इस तरह के तानाशाही रवैय्ये को स्वीकार नहीं किया है कि रानी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्यों कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को न्यायालय में नोटिस के ऊपर बहस नहीं करना चाहिए? न तो सरकार और न ही संसद इस मामले में उन्हें मदद कर सकती है।

तब क्यों संसद को बाधित किया जाता है और विधायी गतिविधियों को जारी रखने के बजाय रोका जाता है? 'चक्रव्यूह' में घिरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को जवाब यह है कि आप अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ें और संसद को बाधित न करें। लोकतंत्र को बाधित करके कांग्रेसी नेताओं के बनाये गए वित्तीय जाल को पूर्ववत् नहीं किया जा सकता है।■

(लेखक केन्द्रीय वित्त एवं सूचना व प्रसारण मंत्री हैं)

पंडित नेहरू और संसद

केन्द्रीय वित्त एवं सूचना व प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक लेख में लिखा है कि संसद का पिछला सत्र बाधित रहा। संसद का वर्तमान सत्र भी बेकार जाने के कगार पर है। वर्तमान सत्र के बेकार जाने के कारण प्रतिपल बदल रहे हैं। देश, आम आदमी के मुद्दे पर बहस के लिए, जीएसटी को सक्षम करने के लिए कानून बनाने और एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए संसद का इंतजार कर रही है। यह सब अनिश्चय के अधर में लटक रही है। हमें खुद से यह प्रश्न पूछने की जरूरत है, 'क्या हम स्वयं और इस देश के प्रति ईमानदार हैं?'

आज, संसदीय प्रणाली पर पंडित जवाहर लाल नेहरू के एक भाषण को

संसद का पिछला सत्र बाधित रहा। संसद का वर्तमान सत्र भी बेकार जाने के कगार पर है। वर्तमान सत्र के बेकार जाने के कारण प्रतिपल बदल रहे हैं। देश, आम आदमी के मुद्दे पर बहस के लिए, जीएसटी को सक्षम करने के लिए कानून बनाने और एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए संसद का इंतजार कर रही है। यह सब अनिश्चय के अधर में लटक रही है। हमें खुद से यह प्रश्न पूछने की जरूरत है, 'क्या हम स्वयं और इस देश के प्रति ईमानदार हैं?'

मैं फिर से पढता हूँ। यह भाषण पहली लोक सभा के अंतिम दिन, 28 मार्च 1957 को दिया गया था। यह भाषण हम सभी के लिए पठनीय है। भाषण का एक महत्त्वपूर्ण पैरा इस प्रकार लिखा है:

यहाँ, हम भारत के सम्प्रभु अधिकार संसद में बैठे हैं, भारत की शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। निश्चित रूप से, इस संप्रभु संस्था के एक सदस्य होने से बड़ी कोई उच्च जिम्मेदारी या अधिक सौभाग्य की बात नहीं हो सकती जो इस देश में रहने वाले मानव जाति की विशाल संख्या के भाग्य को बदलने के लिए उत्तरदायी है। हम सबको, अगर हर समय नहीं, तो समय-समय पर किसी भी कीमत पर, जिम्मेदारी और नियति की उच्च भावना को आत्मसात करना होगा जिसके लिए हमें जिम्मेदारी दी गई थी। हम चाहे इसके लायक थे या नहीं, यह एक अलग बात है। हमने, इसलिए, इन पाँच वर्षों में न केवल इतिहास के दहलीज पर, वरन कभी-कभी इतिहास को बनाने के लिए डूबकर काम किया है।

जो लोग पंडित जी की विरासत का दावा करते हैं, उन्हें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, वे किस प्रकार के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं।■

राष्ट्र निर्माण में तो विपक्ष सहयोग दे

✍ एम. वेंकैया नायडू

ऐसे समय जब देश तेजी से आर्थिक कदम उठाकर एक दशक के पतन के बाद विश्व बिरादरी में अपना वाजिब स्थान ग्रहण कर रहा है, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के राजनीतिक विरोधियों ने देश व दुनिया में उसे बदनाम करने का अभियान छेड़ रखा है। जाहिर है इन्हें सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के लिए जनता में बढ़ती सराहना हजम नहीं हो रही है। बहुमत हासिल कर सत्ता में आई सरकार के खिलाफ यह बढ़ती असहिष्णुता सिकुड़ती कांग्रेस और भ्रमित वामदलों की असुरक्षा ग्रंथी से निकली है। जहां दुनिया की शक्तियां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के उदय को स्वीकार रही हैं वहीं, भाजपा के विरोधी राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को विनाशकारी पथ पर ले जा रहे हैं। हालांकि, वक्त की मांग तो गरीबी हटाने, साक्षरता, सबको आवास, किसानों की आजीविका में सुधार, शहरी-ग्रामीण का फर्क खत्म करने और आतंकवाद को कुचलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति कायम करने की है। यदि विपक्षी दल देश की तरक्की और जनकल्याण के प्रति गंभीर होते तो संसद के बाहर और भीतर बहस अधिक रचनात्मक तथा सार्थक होती।

आइए, थोड़ा ठहरकर संविधान के निर्माण के उत्सव और डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित संसद के दो दिवसीय विशेष सत्र का महत्व समझें। इसके पीछ मूल विचार संविधान सभा की बहस, भारत के महान सपूतों के ऐतिहासिक भाषणों और देश के लोगों की अपेक्षा-आकांक्षाओं पर गौर करना था। मुझे यह देखकर निराशा हुई कि इस मौके पर बहस के दौरान मौजूदा चुनौतियों पर विचार करने की बजाय हम एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहें। अब यह देखने का वक्त आ गया है कि जनता की अपेक्षा-आकांक्षाएं कहां तक पूरी हुई हैं। नि:संदेह बाबासाहेब दिल और दिमाग के गुणों वाले कद्दावर राष्ट्रीय नेता थे। हिंदू समाज की असमानताओं को उन्होंने सभ्यतागत खामी की तरह देखा और इसे दूर करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया।

डॉ. आंबेडकर महान सामाजिक योद्धा थे और अपनी प्रखर बुद्धि और योग्यताओं के कारण सारी अड़चनों, खामियों व अपमान को मात देकर उन्होंने अपनी जगह बनाई। इसके बाद भी उनके राजनीतिक चिंतन में नफरत व शत्रुता को कोई स्थान नहीं था। उनकी लड़ाई समाज के दोमुंहेपन, विरोधाभास और बुराइयों से थी, हिंदू समाज और सभ्यता से नहीं। क्योंकि उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ब्रिटेन से सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण था। आज भारत ने जो भी हैसियत हासिल की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे महान अर्थशास्त्री भी थे और उन्होंने 'रुपए की समस्या : इसका मूल और समाधान' विषय पर पीएचडी भी की थी। ये डॉ. आंबेडकर ही थे, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था में सबसे पहले वित्तीय संघवाद की अवधारणा रखी। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा व प्रांतों की वित्तीय स्वायत्तता, डॉ. आंबेडकर के व्यापक शोध पर ही आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

बहुमत हासिल कर सत्ता में आई सरकार के खिलाफ यह बढ़ती असहिष्णुता सिकुड़ती कांग्रेस और भ्रमित वामदलों की असुरक्षा ग्रंथी से निकली है। जहां दुनिया की शक्तियां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के उदय को स्वीकार रही हैं वहीं, भाजपा के विरोधी राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को विनाशकारी पथ पर ले जा रहे हैं। हालांकि, वक्त की मांग तो गरीबी हटाने, साक्षरता, सबको आवास, किसानों की आजीविका में सुधार, शहरी-ग्रामीण का फर्क खत्म करने और आतंकवाद को कुचलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति कायम करने की है। यदि विपक्षी दल देश की तरक्की और जनकल्याण के प्रति गंभीर होते तो संसद के बाहर और भीतर बहस अधिक रचनात्मक तथा सार्थक होती।

जातियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि इनके कारण सामाजिक जीवन में अलगाव, दुर्भावना और ईर्ष्या पैदा होती है। उन्होंने कहा, 'यदि हम राष्ट्र को हकीकत का रूप देना चाहते हैं तो इन सब कठिनाइयों से उबरना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र में भाईचारा ही एकमात्र तथ्य होता है। इसके बिना समानता व स्वतंत्रता रंग-रोगन की तरह सतही होंगी।' वे मूल कानूनों-दिवानी और आपराधिक कानूनों में एकरूपता चाहते थे, इसीलिए हिंदू कोड बिल पारित होते न देखकर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वे जजों द्वारा जजों के चयन के भी खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, 'चीफ जस्टिस को जजों की नियुक्ति पर वीटो करने देना वास्तव में उन्हें ऐसा अधिकार देना है, जो हम राष्ट्रपति या सरकार को भी नहीं देना चाहते।' डॉ. आंबेडकर की मूलभूत चिंता दलित वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सामाजिक दमन से मुक्ति थी।

जहां दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों से आरक्षण नीति सामने आई और कोई शक नहीं कि इसका उनकी सामाजिक-आर्थिक हैसियत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उनके और समाज के अन्य वर्गों के बीच विकास के कई सूचकांकों पर अंतर अब भी बरकरार है। आजादी के 68 वर्षों बाद भी हमारा देश निरक्षरता (26 फीसदी), गरीबी (22 फीसदी गरीबी रेखा के नीचे), भ्रूण हत्या, दहेज, अस्पृश्यता, महिला अत्याचार, राजनीति में धनबल, राज्यों के लिए विशेष दर्जा और नई जातियों को अजा, जजा या पिछड़ा वर्ग श्रेणी में लाए जाने के लिए मारा-मारी जैसी बुराइयों से लड़ रहा है। देश में दो करोड़ मकानों की कमी, 23 फीसदी लोगों तक बिजली की पहुंच नहीं है और 19.49 करोड़ लोग कुपोषण जुझ रहे हैं। वक्त आ गया है कि वैमनस्य फैलाने वालों को समझना होगा कि इसका उलटा परिणाम होगा। जैसा बेंगलुरू में हुआ, जहां कांग्रेस नेता को नकारते हुए स्वच्छ भारत तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन किया गया।

लोग अब राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। मामूली कारणों से संसद को न चलने देना वे पसंद नहीं करते। राजनीतिक दल इस पर आत्म-परीक्षण करें तो बेहतर होगा। क्या भारी जनादेश को स्वीकार करना उनके लिए इतना कठिन है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को मान्यता न देने के कांग्रेस के आरोप पर मैं बेहिचक यह घोषणा करना चाहता हूं कि हम नेहरूजी का सम्मान करते हैं और उनके योगदान की अनदेखी करने का हमारा कभी इरादा नहीं था। किंतु साथ ही मैं कांग्रेस नेताओं से जानना चाहूंगा कि क्यों उनकी सरकारों ने डॉ. आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जैसे महान लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को उचित सम्मान नहीं दिया?

क्या सोद्देश्यपूर्ण और विकास लाने वाली योजनाओं पर विपक्षी दलों का समर्थन मांगना कोई बहुत बड़ी मांग है? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर समान नागरिक संहिता बनाने, धोखादायक तरीकों से धर्मांतरण रोकने, सर्वशिक्षा, महिलाओं के सशक्तीकरण और आरक्षण को लागू करने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करें। हम आर्थिक विषमता घटाएं, खेती को लाभप्रद बनाएं, धर्म व जाति की राजनीति व इसका का अपराधीकरण बंद करें, भ्रष्टाचार, धद्म धर्मनिरपेक्षता, आतंकवाद को रोकें।

विदेशी जमीन पर जाकर लोगों से लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने की बात न करें और घरेलू मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन जाकर वहां के पदाधिकारियों के आगे गुहार न लगाएं।■

(केंद्रीय शहरी विकास, आवास और संसदीय मामलों के मंत्री)

(साभार- दै. भास्कर)

क्या सोद्देश्यपूर्ण और विकास लाने वाली योजनाओं पर विपक्षी दलों का समर्थन मांगना कोई बहुत बड़ी मांग है? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर समान नागरिक संहिता बनाने, धोखादायक तरीकों से धर्मांतरण रोकने, सर्वशिक्षा, महिलाओं के सशक्तीकरण और आरक्षण को लागू करने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करें। हम आर्थिक विषमता घटाएं, खेती को लाभप्रद बनाएं, धर्म व जाति की राजनीति व इसका का अपराधीकरण बंद करें, भ्रष्टाचार, धद्म धर्मनिरपेक्षता, आतंकवाद को रोकें।

कांग्रेस के लिए कठिन सवाल

✍ ए. सूर्य प्रकाश

नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पिछले हफ्ते जो ड्रामा किया गया उससे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच यह राजनीतिक संदेश तो जा सकता है कि वह ठीक ढंग से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसके लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के कामकाज के लिहाज से गंभीर निहितार्थ हैं।

डॉ. स्वामी का मुकदमा उस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनी की संपत्ति से संबंधित है जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी। उसे नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर रियायती दरों पर कीमती सरकारी जमीन मिली थी। कंपनी ने दूसरे शहरों में अपने कार्यालय बनाने के लिए प्रमुख जगहों पर संपत्तियां हासिल कीं। एजेएल नेशनल हेराल्ड और कई अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करती थी, लेकिन वर्ष 2008 में उसने इन अखबारों का प्रकाशन और मुद्रण बंद कर दिया। तब तक एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। समय-समय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एजेएल को ब्याज मुक्त ऋण देने के कारण इस कंपनी पर पार्टी का 90 करोड़ रुपये का उधार चढ़ गया। पार्टी ने इस बड़े उधार को कंपनी कानून की धारा 25 के अंतर्गत गठित कंपनी यंग इंडियन को दे दिया। ऐसा उसने 50 लाख रुपये की मामूली रकम की रसीद पर कर दिया। इससे भी बढ़कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन में 38-38 फीसद हिस्सेदारी हासिल की। मतलब, दोनों ने कंपनी के कुल 76 प्रतिशत शेयर हासिल कर लिए। इन तथ्यों के आधार पर कुछ सवाल जन्म लेते हैं। 2000 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति वाली एजेएल ने कुछ संपत्ति बेचकर 90 करोड़ की देनदारी क्यों नहीं चुका दी? एजेएल को 90 करोड़ ऋण देने वाली कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 50 लाख रुपये के बदले में यंग इंडियन नामक कंपनी को यह उधार क्यों सौंप दिया? क्यों कांग्रेस पार्टी ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को यह धन अग्रिम दिया और क्यों वह इस व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त हुई? क्या यह सच है कि यंग इंडियन कंपनी हजारों करोड़ रुपये की उस रीयल इस्टेट संपत्ति को हासिल करने के लिए बनाई गई जो दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, पटना, पंचकूला और अन्य जगहों में प्रमुख स्थानों पर हैं? इस लेन-देन के विचलित करने वाले निहितार्थ हैं। सरकार ने खास तौर पर अखबार के प्रकाशन के लिए नेशनल हेराल्ड हाउस को जमीन दी थी। लेकिन नेशनल हेराल्ड हाउस का स्वामित्व अब यंग इंडियन के पास है जिसने अखबार न छापने का फैसला किया है और इसके बदले अब इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किराये पर दे रखा है। यह सब मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुआ है।

डॉ. स्वामी का मुकदमा उस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनी की संपत्ति से संबंधित है जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी। उसे नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर रियायती दरों पर कीमती सरकारी जमीन मिली थी। कंपनी ने दूसरे शहरों में अपने कार्यालय बनाने के लिए प्रमुख जगहों पर संपत्तियां हासिल कीं। एजेएल नेशनल हेराल्ड और कई अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करती थी, लेकिन वर्ष 2008 में उसने इन अखबारों का प्रकाशन और मुद्रण बंद कर दिया। तब तक एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। समय-समय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एजेएल को ब्याज मुक्त ऋण देने के कारण इस कंपनी पर पार्टी का 90 करोड़ रुपये का उधार चढ़ गया।

डॉ. स्वामी की याचिका के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यंग इंडियन का गठन 'सार्वजनिक संपत्ति को व्यक्तिगत उपयोग में बदलने के लिए दिखावे या लबादे के रूप में' किया गया है और इसलिए उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसके अनुरूप ही अभियुक्तों को इस कोर्ट में समन किया गया। लेकिन सोनिया गांधी और अन्य

लोगों ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं। इसकी टिप्पणियां ध्यान देने लायक हैं। हाई कोर्ट ने कहा, 'इन याचिकाओं में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की सत्यनिष्ठा जांच के घेरे में है। यह अपनी तरह का अनूठा मुकदमा है।' आरंभ से ही कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वकीलों ने हस्तक्षेप के अधिकार के मुद्दे को उठाकर संकट टालने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा कि डॉ. स्वामी को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह प्रभावित पक्ष नहीं हैं। एजेएल के शेयर होल्डर के तौर पर उनके अधिकारों के साथ न तो धोखाधड़ी हुई है या न उन्हें किसी चीज से वंचित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने इन आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस अभिमत के बाद हस्तक्षेप के अधिकार का सवाल निर्थक है कि भ्रष्ट के खिलाफ कार्यवाही करने की एक निजी व्यक्ति की आजादी को सीमित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि एक निजी व्यक्ति भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ तो कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, जबकि वह धोखाधड़ी और गबन आदि के गंभीर अपराधों का आरोपी हो।

सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ डॉ. स्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता और हमारे लोकतंत्र के लिए इस मुकदमे के निहितार्थ के कारण भी न्यायाधीश की कई टिप्पणियां दोहराने योग्य हैं। न्यायालय ने पाया कि

न्यायालय ने यह भी कहा कि 'किसी भी विवेकी व्यक्ति के दिमाग में यह बात उठ सकती है कि अखबारों के प्रकाशन के व्यावसायिक उपक्रम में लगी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ब्याजमुक्त ऋण देने की जरूरत ही क्या थी।' और इस तरह के बड़े उधार की माफी 'जालसाजी, धोखाधड़ी आदि के आरोपों को सहज ही आमंत्रित कर सकती है।' कोर्ट ने कहा कि यंग इंडियन को ऋण देना निश्चित तौर पर सवाल उठाने लायक है। यही नहीं, एजेएल की असाधारण आमसभा से वास्तविक शेयर होल्डरों को क्यों अलग-थलग रखा गया? इसमें सिर्फ सात शेयर होल्डरों ने भाग लिया था। न्यायालय द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरापियों को सभी आरोपों पर न्यायालय को संतुष्ट करने लायक उत्तर देने की जरूरत होगी।

पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पार्टी फंड को 'गुप्त तरीके से' हथिया लिया। मामला एक लोकतांत्रिक संरचना में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ब्याजमुक्त ऋण देने के अनुचित कार्य का है, खास तौर से तब जबकि कांग्रेस पार्टी के धन का स्रोत ज्यादातर लोगों द्वारा दिया गया चंदा है और इसलिए कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी द्वारा धन को हथियाने पर कानूनी सवाल उठा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 'किसी भी विवेकी व्यक्ति के दिमाग में यह बात उठ सकती है कि अखबारों के प्रकाशन के व्यावसायिक उपक्रम में लगी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ब्याजमुक्त ऋण देने की जरूरत ही क्या थी।' और इस तरह के बड़े उधार की माफी 'जालसाजी, धोखाधड़ी आदि के आरोपों को सहज ही आमंत्रित कर सकती है।' कोर्ट ने कहा कि यंग इंडियन को ऋण देना निश्चित तौर पर सवाल उठाने लायक है। यही नहीं, एजेएल की असाधारण आमसभा से वास्तविक शेयर होल्डरों को क्यों अलग-थलग रखा गया? इसमें सिर्फ सात शेयर होल्डरों ने भाग लिया था। न्यायालय द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरापियों को सभी आरोपों पर न्यायालय को संतुष्ट करने लायक उत्तर देने की जरूरत होगी। उन्हें राजनीतिक नाटक और टेलीविजन कैमरों पर केंद्रित सड़क छाप माहौल के जरिये नहीं टाला जा सकता।

डॉ. स्वामी के आरोप इस बड़े सवाल को भी उठाते हैं कि राजनीतिक दलों को अपने धन को खर्च करने की कहां और किस तरह अनुमति दी जानी चाहिए। क्या वे व्यापारिक काम कर सकते हैं? हाल के वर्षो में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपये के चंदे मिल रहे हैं। क्या वे व्यावसायिक काम कर सकते हैं, कॉरपोरेट कंपनियों को धन ऋण में दे सकते हैं, कॉरपोरेट संपत्तियों को खरीद या बेच सकते हैं? अगर राजनीतिक पार्टियां अपने कर मुक्त धन को कंपनियों की बैलेंस शीट या शेयर बाजार में डाल देंगी तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या होगा? ■

(लेखक प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं)

(साभार- दै. जागरण)

भारत-जापान में 98,000 करोड़ रुपए का समझौता
मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन

भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के बीच 12 दिसंबर को हुई वार्षिक शिखर वार्ता में इस पर अंतिम निर्णय ले लिया गया। इस परियोजना पर 98,000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की शिंकन्सेन जो अपनी रफ्तार, विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए मशहूर है, के जरिए मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर तीव्र गति की रेल परियोजना शुरू करने का हमारा फैसला कम ऐतिहासिक नहीं है। उन्होंने इस परियोजना के लिए श्री आबे की तरफ से बेहद आसान शर्तों पर करीब 12 अरब डॉलर (करीब 98,000 करोड़ रुपए) के असाधारण पैकेज और तकनीकी सहायता देने की काफी प्रशंसा की।

बुलेट ट्रेन नेटवर्क भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ेगा। दोनों शहरों के बीच बुलेट ट्रेन से 505 किलोमीटर का सफर आठ घंटे से घटकर करीब तीन घंटे रह जाएगा। श्री मोदी ने कहा इस प्रयास से भारतीय रेलवे में क्रांति आ जाएगी और भारत की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ने की रफ्तार बढ़ेगी। यह भारत में आर्थिक बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाएगी। विदेश सचिव श्री एस जयशंकर ने कहा कि जापान इस परियोजना पर आने वाली लागत का 80 प्रतिशत वित्तपोषण 0.1 प्रतिशत की ब्याज दर पर 50 साल की अवधि के लिए प्रदान करेगा।

भारत-जापान ने दोहरे कराधान पर संशोधन के लिये सहमति

भारत और जापान ने 12 दिसंबर को दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (डीटीएए) में संशोधन के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते में संशोधन से कर अपवंचना कम होगी और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। डीटीएए में संशोधन करने के समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की उपस्थिति में किये गये। एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि इस समझौते के जरिये भारत और जापान के बीच दोहरे कराधान से बचाव के समझौते में संशोधन किया जायेगा। यह समझौता वर्ष 1989 में हुआ था जिसका मकसद दोहरे कराधान से बचाव के साथ-साथ आय पर लगने वाले करों की वित्तीय अपवंचना को रोकना था।

इसमें होने वाले संशोधन से भारत और जापान के बीच बैंकिंग सूचना सहित सूचनाओं का प्रभावी ढंग से आदान प्रदान हो सकेगा। यह कर चोरी कम करने में मददगार होगा और

भारत और जापान के बीच करों की वसूली में सहायक होगा। नीति आयोग और ऊर्जा अर्थशास्त्र संस्थान, जापान के बीच भी एक प्रायोजन वक्तव्य का आदान-प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच वन और वानिकी क्षेत्र पर भी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

एक अन्य एमओयू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तोयामा प्रांत के गवर्नर के बीच किया गया। यह एमओयू दोनों राज्यों की सरकारों और कंपनियों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान, औषधि उत्पादन, पर्यटन और शैक्षिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिये किया गया। एक अन्य एमओयू केरल और

लेक नाकौमी, लेक शिंजी और माउंट डाइसिन क्षेत्र मेयर्स एसोसिएशन के बीच हुआ। इसके मुताबिक जापान ने खासतौर से लघु एवं मझौली इकाइयों और व्यावसायिक क्षेत्र के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक रिश्तों को विकसित करने पर सहमति जताई है। एक सहमति ज्ञापन भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज (ग्रिप्स) के बीच भी किया गया।

भारत-जापान के बीच हुए समझौतें की मुख्य बातें

- दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लीयर एनर्जी कोऑपरेशन और डिफेंस इक्युपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता हुआ।
- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1 मार्च 2016 से जापानियों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने की भी घोषणा की।
- जापान अगले 5 सालों में भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करेगा।
- जापान वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर बनाएगा।

भारत-जापान द्वारा संयुक्त वक्तव्य :

भारत के आर्थिक बदलाव में जापान की निर्णायक भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जापान के प्रधानमंत्री के साथ नई दिल्ली में 12 दिसम्बर, 2015 को संयुक्त मीडिया वक्तव्य दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि किसी अन्य भागीदार ने भारत के आर्थिक बदलाव में ऐसा निर्णायक भूमिका नहीं निभाई है जैसी जापान ने निभाई है। भारत के आर्थिक सपनों को साकार करने में कोई भी दोस्त जापान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी सामरिक भागीदार के बारे में नहीं सोच सकता जो एशिया और हमारे आपस में जुड़े महासागर क्षेत्रों की प्रगति को आकार देने में हमारी अपेक्षा अधिक गहरा प्रभाव डालने के लिए कार्य कर सकता हो। यही कारण है कि हम अपने विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी को दिल की गहराई से महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे भारत में बेजोड़ जन सद्भावना और राजनीतिक आम सहमति प्राप्त है। जो हमारी जनता की बड़ी उम्मीदों और भारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान इन पर निर्भर रहने के लिए हमने बहुत काम किया है। हमने आर्थिक सहयोग के साथ-साथ अपनी क्षेत्रीय भागीदारी और सुरक्षा सहयोग में भी भारी प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में हमने जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वह वाणिज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए किए गए समझौते की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के उद्देश्य के लिए आपसी विश्वास और रणनीतिक भागीदारी के नए स्तर का चमकता हुआ प्रतीक है।

श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता भी समान रूप से बहुत मजबूत है। हम स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में व्यापक सहयोग के लिए कार्य कर रहे हैं और विश्व में

अन्य देशों के लाभ के लिए भी समाधानों को जुटाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमने अपनी सुरक्षा सहयोग में दो और निर्णायक कदम उठाए हैं। यह दो समझौते हमारे रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ भारत में रक्षा विनिर्माण को भी बढ़ावा देंगे। ये सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के स्टॉफ की वार्ता को विस्तार करने के हमारे निर्णय को मजबूती प्रदान करेंगे और जापान को मालाबार नौसेना अभ्यास में एक भागीदार बनाएंगे।

संयुक्त वक्तव्य के दौरान श्री मोदी ने कहा कि हमने एक वर्ष के दौरान अपनी क्षेत्रीय भागीदारी को भी काफी आगे बढ़ाया है। हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का स्तर

उठाया है और आस्ट्रेलिया के साथ भी एक नई शुरूआत की है। हम इस क्षेत्र में एक समग्र, संतुलित और खुली क्षेत्रीय वास्तुकला और समुद्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी एशिया सम्मेलन में एक साथ मिलकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम नेविगेशन, ओवर-लाइट तथा समुद्रीय वाणिज्य में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। मैं अपेक में भारत की सदस्यता के लिए प्रधानमंत्री आबे के समर्थन की सराहना करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि चूंकि हम भारत जापान संबंधों के विजन 2025 को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम अपने लोगों की समृद्धि में बढ़ोत्तरी करेंगे और हमारे विजन और मूल्यों में एक एशियाई सदी को आकार देंगे।

भारत-जापान बिजनेस लीडर्स फोरम का संबोधन

भारत और जापान साथ-साथ आगे बढ़ें: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने नई दिल्ली में 12 दिसंबर को भारत-जापान बिजनेस लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत और जापान साथ-साथ आगे बढ़ें। दोनों देश न सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन के क्षेत्र में आगे बढ़ें, बल्कि वे उच्च विकास दर के लिए एक साथ कदम उठाएं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल की अपनी जापान यात्रा को याद किया और जापान की ओर से भारत में 35 अरब डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय निवेश की इतनी बड़ी राशि ने सभी ने चौंकाया था। लेकिन आज बहुत ही कम समय में इस दिशा में अकल्पनीय प्रगति हुई है और जापान के निवेश की रूप-रेखा धरातल पर दिखने लगी है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया मिशन मोड में चलने वाली प्रक्रिया है। यह कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि जापान में भी इसी मोड में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल नीतिगत प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ जापान प्लस अभियान भी काफी अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल में भारत और जापान के कुछ आर्थिक संकेतकों का जिक्र किया और कहा कि ये काफी प्रोत्साहित करने वाले हैं। खास कर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत संभावनाओं की धरती है। उन्होंने याद दिलाया कि जापान भारत के कई आर्थिक मोड़ों का हिस्सा रहा है। उन्होंने इस संबंध में मारुति कार और डीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) का जिक्र किया।

शिंजो आबे और मोदी ने की गंगा आरती

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे प्राचीन मंदिरों के शहर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लिया। इससे पहले श्री मोदी और श्री आबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा की पूजा की। उसके बाद दोनों ने गंगा आरती के दर्शन किए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आए जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे का स्वागत काशी में बेहद अनूठे और शानदार अंदाज में हुआ। यहां की विश्वविख्यात शहनाई के साथ सांस्कृतिक विविधता से साक्षात्कार कराने वाले कथक नृत्य ने जापानी प्रधानमंत्री को अभिभूत कर दिया।■

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ

95,000 से ज्यादा उद्योग आधार ज्ञापन पत्र दर्ज

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से 18 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सुधार हेतु और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया है। इन पहलों में उद्योग, आधार ज्ञापन पत्र के रूप में व्यापार के पंजीकरण को आसान बनाना, कमजोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रारूप, पारंपरिक उद्योगों के पुन: सृजन के लिए कोष, पूंजी सब्सिडी से जुड़ी ऋण गारंटी और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता किया जाना शामिल हैं।

वर्ष 2015 के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सुधार हेतु और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया है। इन पहलों में उद्योग, आधार ज्ञापन पत्र के रूप में व्यापार के पंजीकरण को आसान बनाना, कमजोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रारूप, पारंपरिक उद्योगों के पुन: सृजन के लिए कोष, पूंजी सब्सिडी से जुड़ी ऋण गारंटी और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता किया जाना शामिल हैं।

उद्योग, आधार ज्ञापन-पत्र (यूएएम)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अंतर्गत सितम्बर, 2015 में मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाई उद्योग, आधार ज्ञापन पत्र दाखिल करेगी। गौरतलब है कि मात्र तीन महीने के अंदर 95,000 से ज्यादा उद्योग आधार ज्ञापन पत्र दर्ज किए गये। भारत में एमएसएमई के लिए व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया संबंधित राज्यों और संघशासित प्रदेशों के साथ दर्ज उद्यमियों के ज्ञापन (ईएम भाग-1 और 2) को यूएएम में परिवर्तित कर देती है। हालांकि कुछ राज्यों और संघशासित प्रदेशों ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन अथवा स्वयं के द्वारा अथवा मंत्रालय के द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से अपनाया है। कई राज्य/संघशासित प्रदेश अभी भी ईएम को दाखिल करने के मामले में सामान्य तरीके का ही उपयोग कर रहे हैं। ईएम को दाखिल करने की प्रक्रिया अब व्यापक हो चुकी है और एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को एक पृष्ठ के साधारण यूएएम को http://udyogaadhaar.gov.in पर ऑनलाइन फाइल करना होता है। इसके शीघ्र बाद एक विशिष्ट उद्योग आधार नम्बर (यूएएन) प्राप्त हो जाता है। मांगी गई जानकारी का आधार स्व-प्रमाणीकरण पर आधारित है और यूएएम को ऑनलाईन फाइल करते समय किसी सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। यूएएम को व्यक्तिगत रूप से भी आधार नंबर होने पर ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। हालांकि अपवाद स्वरूप मामलों में जिनके पास आधार नंबर नही हैं। यूएएम को सामान्य तरीके से (अर्थात कागज के फॉर्म के माध्यम से) संबंधित जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक (जीएम) के पास दाखिल किया जा सकता है।

गौरतलब है कि लघु उद्यमों के पुनरूद्धार, पुनर्वास और कायाकल्प के समाधान के लिए देश में मौजूदा तंत्र काफी कमजोर है। हाल ही की कार्य व्यापार (डीबी) रिपोर्ट में इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के मामले में 189 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 137वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि किसी समस्या के समाधान में औसत स्तर पर 4.3 वर्ष लगते हैं और इसमें देनदार की संपत्ति की 9.0 प्रतिशत लागत आती है।

अभिनव, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एएसपीआईआरई योजना

▸ एएसपीआईआरई का शुभारंभ 16

मार्च 15 को 210 करोड़ रूपये के कोष के साथ तकनीकी केंद्रों के एक नेटवर्क के गठन, उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए प्रेरक केंद्रों और ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योगों में उद्यमशीलता एवं अभिनव को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया है।

- एएसपीआईआरई के योजान्वित परिणामों में प्रौद्योगिकी व्यापार प्रेरकों (टीबीआई), आजीविका व्यवसाय उत्प्रेरकों (एलबीआई) और एसआईडीबीआई जैसी पहलों के लिए कोषों के निर्माण के साथ एक कोष का गठन करना है।
- योजना के शुभारंभ होने के एक माह के भीतर एएसपीआईआरई के अंतर्गत अप्रैल 2015 में प्रथम एलबीआई की स्थापना की गई। 107 युवाओं के प्रथम समूह को इसके माध्यम से प्रशिक्षित और कौशल प्रदान किया गया।
- सितम्बर, 2015 तक 19 एलबीआई को स्वीकृति दी जा चुकी है और अन्य 9 एलबीआई और दो टीबीआई स्वीकृति के लिए तैयार हैं।

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की स्फूर्ति योजना

- स्फूर्ति का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और शिल्पियों को संगठित करना है ताकि उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाने, शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने, सामान्य सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाने और समूह शासन प्रणाली को मजबूत करने के द्वारा उनको स्थायी मदद प्रदान की जा सके और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- स्फूर्ति योजना के दिशानिर्देशों को वर्ष 2015 में फिर से पुनरूद्धार गया और योजना को 2015 में काफी लाभकारी सिद्ध हुई। 2014 में शून्य के मुकाबले 2015 में योजना के अंतर्गत 62 करोड़ रूपए के कोष को स्वीकृति दी गई।
- 12वीं योजना में एक वर्ष शेष रहने की अवधि के दौरान ही, 71 समूहों के लक्ष्यों के मुकाबले 2015 में 68 समूहों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

सूक्ष्म विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना (एलएससीएस)

- एमएसएमई विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए संपूर्ण देश में एलएमसीएस को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न सूक्ष्म विनिर्माण तकनीकों (उदाहरण के लिए कुल उत्पादकता रखरखाव (टीपीएम), 5 एस, दृश्य नियंत्रण, मानक संचालन प्रक्रियाएं, डाईयों अथवा त्वरित बदलाव का एक मिनट में आदान-प्रदान (एसएमईडी), मूल्य स्ट्रीम मानचित्रण, कानबन प्रणाली, काइजेन, सेल्युलर लेआउट के माध्यम से एमएसएमई के विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
- 188 नए समूहों की पहचान की गई और एलएम मध्यस्थताओं (सूक्ष्म विनिर्माण) के लिए चयन किया गया।
- 359 इकाईयों में सूक्ष्म विनिर्माण मध्यस्थाओं की पहल की गई है।
- संपूर्ण देश में 63 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। ■

सांसदों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को सांसदों के लिए एक बैटरी से चलने वाली बस सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा का उद्देश्य देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने संसद भवन परिसर में 'गो ग्रीन' बस सेवा का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'दुनिया लंबे समय से पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रही है, लेकिन प्रदूषण का कुप्रभाव काफी देर से महसूस किया गया है।' उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को बस की चाबी सौंपी। इस बस सेवा के उद्घाटन के बाद सबसे पहले श्रीमती महाजन बस में चढ़ीं। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि इसी तरह की बसें देशभर में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैटरी बस से आठ लाख रुपये प्रति वर्ष बचत होगी, क्योंकि इसकी संचालन लागत परंपरागत बसों की तुलना में कम होगी। ■

विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा

आतंकवाद से निपटने के लिए सबका साथ जरूरी : सुषमा स्वराज

अफगानिस्तान मुद्दे पर हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की मंत्रीस्तरीय बैठक के लिए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 8 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंची। सम्मेलन में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। भारत अपने स्तर पर अफगानिस्तान का सहयोग करने को तैयार है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल में आतंकवाद बढ़ा है। श्रीमती स्वराज ने बताया कि अगला यानी की छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत में होना है और मैं अगले साल आप सब लोगों का भारत में स्वागत करना चाहती हूं। इस सम्मेलन की शुरुआत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री अशरफ घानी ने की। गौरतलब है कि श्रीमती सुषमा स्वराज का इस्लामाबाद दौरा सितंबर 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की यात्रा के बाद विदेश मंत्री स्तर का पहली पाकिस्तान यात्रा थी।

दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत: सुषमा स्वराज

हॉर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बाद विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 9 दिसंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ और उनके विदेश मामलों के सलाहकार श्री सरताज अजीज के साथ अलग-अलग बैठक की। श्रीमती स्वराज और श्री शरीफ की बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो गई है। समग्र वार्ता को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर दोनों देशों के विदेश सचिव बैठकर कार्यक्रम व रूपरेखा तैयार करेंगे। कुछ और बातों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है।

संसद में बयान

पाकिस्तान के साथ दूरियों को पाटना जरूरी, तीसरा पक्ष स्वीकार्य नहीं: सुषमा

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की नयी शुरुआत पर 14 दिसंबर को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। विदेश मंत्री ने एक अहम बात कही कि दोनों देशों में बीच बेहतर रिश्ते क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री ने अफसोस जताया कि दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे विश्व के दूसरे क्षेत्रीय सहयोग संगठन आगे बढ़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों को पूरे क्षेत्र की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार ने कहा कि पाक से दूरियों को पाटना जरूरी है और उम्मीद जतायी कि 'समग्र द्विपक्षीय वार्ता' के तहत इस पड़ोसी देश के साथ बातचीत से अमन

और विकास का नया अध्याय शुरू होगा।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपनी हाल की इस्लामाबाद यात्रा तथा भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के संबंध में संसद में दिए बयान में कहा कि बातचीत किसी तीसरे की मध्यस्थता में नहीं होनी है...तीसरी पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। बातचीत दोनों देशों को ही करनी होगी. ..इसलिए दूरी को पाटना जरूरी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों में उतार चढाव का असर दक्षेस संगठन पर पड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि उस तरीके से दक्षेस आगे नहीं बढ़ रहा है जैसे दूसरे संगठन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों कई स्तर पर हुई बातचीत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन गुपचुप कुछ नहीं हुआ है।

उन्होंने पाकिस्तान के साथ मधुर संबंधों को दोनों देशों के हित में बताते हुए कहा कि वार्ता को निर्बाध रखने के लिए जरूरी है कि माहौल खराब करने वालों के बहकावे में नहीं आया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ता से ही रास्ता निकलेगा भरोसा करके ही बातचीत शुरू होगी।

विदेश मंत्री ने बयान के बाद सदस्यों द्वारा किए गए सवालों के जवाब में बताया कि उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान धार्मिक पर्यटन को भी कारोबार, ट्रांजिट, सियाचिन और सरक्रीक के साथ वार्ता के महत्वपूर्ण स्तंभों में शामिल किया गया है।

बातचीत का सिलसिला शुरू करने पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे यह भावना थी कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी, हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने तथा इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में अड़चन है। विदेश मंत्री ने कहा, साथ ही यह भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से, प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि शरीफ तथा उनके पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के साथ उनकी बैठकें इसी सकारात्मक प्रगति की पृष्ठभूमि में आयोजित की गयीं। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की भर्त्सना की और इसे खत्म करने के लिए आपसी सहयोग करने का संकल्प लिया। श्रीमती सुषमा ने कहा कि हमने मुंबई आतंकी हमले से संबंधित न्यायिक कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि यह सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सरकार कूटनीतिक प्रयोगों सहित वो सभी कदम उठाएगी जो आवश्यक हों।

विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों के लिए वचनबद्ध है ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए जो प्रयास इस सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के समय शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के दो उद्देश्य हैं, चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। उन्होंने कहा कि व्यापार और संपर्क द्वारा, लोगों के बीच आपसी संपर्क द्वारा और मानवीय पक्षों पर नयी पहलों के द्वारा समूचे क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। इससे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ सकता है। हम आशा करते हैं कि इस नवीन वार्ता से हमारे समूचे क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि मई 2014 में भारत में नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को अन्य दक्षेस देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि यह निमंत्रण पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक था।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की जुलाई में उफा में मुलाकात हुई जिसमें वे इस बात पर सहमत हुए कि शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। दोनों ने यह भी इंगित किया कि दोनों देश सभी बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उफा सम्मेलन के दौरान शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री को वर्ष 2016 में होने वाले दक्षेस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद आने का आमंत्रण दिया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बताया कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। ■

कला उत्सव 2015 : कला में फूटा बाल प्रतिभाओं का एक अनूठा फव्वारा

अम्बा चरण वशिष्ठ

नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 8 से 10 दिसम्बर तक आयोजित कला उत्सव 2015 तो बाल कलाओं व संस्कृति की एक राष्ट्रीय सभा बन गई जिसमें देश के हर कोने के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। यह अपने विभिन्न रंगों की अपनी छटा बिखेरता भारत की एकता का एक इर्द-गिर्द घूमता रहा। इसका समापन हुआ एक उत्तेजना भरे उत्साहवर्धक माहौल में 11 दिसम्बर को जब सिरीफोर्ट सभागार में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिये पुरस्कारों की घोषणा और वितरण हुआ। पुरस्कारों का चयन विभिन्न वर्गों के लिये अलग-अलग एक प्रतिष्ठित पैनल ने किया।

इन्द्रधनुष बन कर उभरा जिसमें 36 प्रदेशों व संघीय क्षेत्रों से आये 1500 से अधिक बच्चों की आभा सिमटी पड़ी थी। कला उत्सव मानव संसाधन विकास मन्त्री श्रीमती स्मृति ईरानी की मौलिक सोच व कल्पना थी जिसे साकार करने के लिये प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 सितम्बर को इस आयोजन की वेबसाइट का उद्घाटन कर नैतिक समर्थन व प्रोत्साहन प्रदान किया। तब उन्होंने श्रीमती ईरानी को इस आयोजन को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, के राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। यही कारण रहा कि इस उत्सव में सारा प्रतिभा प्रदर्शन लगभग इस ध्येय के

प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों का चयन एक लम्बी व व्यापक प्रक्रिया द्वारा किया गया जिसमें पहले प्रदेश के अन्दर प्रतियोगिता की गई। एक मानदण्ड प्रदेशों द्वारा इ-प्रोजैक्टों का आंकलन भी था। विलुप्त हो रही या भूलती जा रही कलाओं को पुनर्जीवित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

इस आयोजन का सर्वाधिक आकर्षण बिन्दु था लड़के-लड़कियों तथा सक्षम व विशेष रूप से सक्षम बच्चों को एक ही प्रदर्शन मंच पर बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर देना। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नया पथ-प्रदर्शक पग था। इससे विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी अपने सक्षम भाई-बहनों के साथ बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का पहली बार अवसर मिला। यह इसी नई सोच का करिश्मा था कि संगीत के क्षेत्र में सभी को पीछे पछाड़ प्रथम पुरस्कार पाने वाली दिल्ली की टीम के सभी बच्चे विशेष रूप से सक्षम थे।

रंगमंच श्रेणी में भाग लेनी वाली एक विद्यार्थी कद में तो अवश्य सब से छोटी थी मात्र अढ़ाई फुट पर उसने अपने जीवन्त व मार्मिक अभिनय प्रदर्शन से सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिये।

एक और बाल कलाकार जिसने ड्रामा में भाग लिया वह थी चण्डीगढ़ के स्कूल की 80 प्रतिशत विशेष रूप से सक्षम छात्रा।

सभी प्रतिस्पर्धाओं में जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये वह इतने चित्ताकर्षक थे कि नृत्य में सभी के पांव थिरक रहे थे, संगीत में लोग झूम रहे थे और रंगमंच पर कार्यक्रमों से उल्लसित हो रहे थे।

कला उत्सव 2015 के शुभारम्भ के समय अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की प्रणेता मानव संसाधन मन्त्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वह कार्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा की भावना से भाग लें पर अपने प्रदेशों को लौटते समय जायें सहकार व सद्भाव की भावना से ओतप्रोत होकर। उन्होंने

आग्रह किया कि अन्य प्रदेशों से आये अपने भाई-बहनों से मिलने-जुलने, अपनी बातें उन्हें सुनाने व उनकी बातें स्वयं सुनने व एक-दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिये इस सुअवसर का पूरा लाभ उठायें। अपने सम्बोधन के समय मन्त्री ने सब से यह भी सुनिश्चित किया कि इस समागम में सभी प्रदेशों की उपस्थिति है। जब उन्हें पता चला कि तमिलनाडू की टीम भी आई है तो उन्होंने उस टीम का कर्तलध्वनि से स्वागत करने का आग्रह किया जिसने प्रदेश में अभूतपूर्व बाढ़ के बावजूद यहां उपस्थिति दर्ज करवाई है। उन्होंने बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों तथा अध्यापकों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने यहां आने के लिये बच्चों को प्रेरित किया, उनमें अपनी कलाओं व संस्कारों के प्रति रूचि पैदा की व उन्हें जीवित रखने के लिये प्रोत्साहित किया।

केन्द्रीय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव डा0 ऐस सी खुंटिया एवं एनसीइआरटी के निदेशक डा0 सेनापती भी उपस्थित थे।

उसी शाम को श्रीमती ईरानी के सुझाव पर बाल भवन के प्रांगण में पांच स्थानों पर कैम्प फायर का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रदेशों से आये बच्चों ने बड़ी धूमधाम से हिस्सा लिया और एक दूसरे के संगीत पर नाच भी किया, गाने भी गाये। उन्माद और उल्लास का यह एक ऐसा क्षण बन गया जिसे बच्चे सारा जीवन न भूल पायेंगे।

विभिन्न प्रदेशों से उत्सव में भाग लेने आये विद्यार्थी विभिन्न गुटों ने भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा सभापति श्री मुहम्मद हामिद अंसारी एवं लोक सभा अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन से भी भेंट की।

कला उत्सव का समापन 11 दिसम्बर को हुआ जब मानव संसाधन मन्त्री श्रीमती समृति ईरानी ने नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी, पद्म विभूषण से सम्मानित लेखक रस्किन बॉंड, पद्मश्री प्राप्त प्रख्यात नृत्यांगना श्रीमती सोनल मानसिंह की उपस्थिति में माननीय जजों का निर्णय सुनाया। सारा हाल तब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुये श्री कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि विद्यार्थियों को किसी हीरो या रोल मॉडल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ''तुम सभी अपने मॉडल हो''। उन्होंने कहा कि यदि कला व कलाकार की ताकत भारत के बच्चों को एकता के एक मंच पर ला सकती है तो उन्हें कोई शक नहीं कि भारत की बेटियां न केवल सुरक्षित व सुशिक्षित होंगी बल्कि वह दुनिया में किसी से कम नहीं रहेंगी।

श्रीमती सोनल मानसिंह ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया।

अपने समापन भाषण में श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधान मन्त्री महोदय ने इस उत्सव को राष्ट्रीय एकता और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' के पावन उद्देश्य की प्राप्ति में बच्चों को जोड़ना चाहा था जिसमें हम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कला उत्सव हमारे राष्ट्र का गौरव है और इसके माध्यम से सारे भारत से आये स्कूल के बच्चों को एक साथ मिलकर भारत की उच्च संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर की यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार भारत ने विज्ञान व तकनॉलोजी में उत्कृष्ठता प्राप्त की है उसी प्रकार हम सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना डंका बजा पायेंगे। श्रीमती ईरानी ने जजों का निर्णय भी सुनाया जिसके अनुसार दृष्य कला में प्रथम पुरस्कार अण्डेमान निकोबार को, दूसरा संयुक्त रूप में दिल्ली व हरियाणा को और तृतीय तमिलनाडू को मिला। संगीत में प्रथम विजेता रहा दिल्ली, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा संयुक्त रूप में असम व महाराष्ट्र।

रंगमंच में हरियाणा को मिला पहला पुरस्कार, असम को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा। नृत्य श्रेणी में प्रथम स्थान पाया असम ने, दूसरे पर रहा दादरा नगर हवेली और तीसरे पर कर्नाटक। ट्राफी के साथ प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को मिला सवा लाख रुपया, दूसरे को 75 हजार और तीसरे को 50 हजार रुपये।

श्रीमती ईरानी ने जीतने वाले सभी प्रदेशों को पुरस्कार भी बांटे और बधाई भी दी। प्रदेशों से आये सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय कला उत्सव 2015 में भाग लेने का प्रमाणपत्र भी दिया गया।

कार्यक्रम के बीच-बीच पुरस्कृत संगीत व नृत्य की कृतियों से दर्शकों का मनोरंजन भी किया गया।

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत की गई उत्कृष्टता ने इस नये-नवेले कला उत्सव 2015 को राष्ट्रीय स्तर प्रदान कर दिया है। कार्यक्रमों की विशिष्टता ने सिद्ध कर दिया है कि प्रस्तुतियां चाहे बच्चों की रही हों पर यह बच्चों का खेल कतई नहीं था। अब यह कला उत्सव एक बार होने वाला समागम नहीं है, इसे वार्षिक बनाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल को यह कला उत्सव यदि राष्ट्रीय बाल कला उत्सव का स्थान प्राप्त कर ले और उतना ही गौरवशाली बन जाये जैसे कि कई अन्य विधाओं में राष्ट्रीय पुरस्कार। ■